**संख्या-** 10 **/2019/1751/सत्तर-4-2018-43(4)/2010**

प्रेषक

मनोज कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक: 11 फरवरी, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को गैर-वेतन मद में देय अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या- कु0स0/5751/2ए साप्र-1(विविध शासन)/2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में रू0 117.96 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-44/2018/ 757/सत्तर-4-2018-43(4)/2010, दिनांक 23.4.2018 द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त (प्रथम छ: माह हेतु) के रूप में रू0 58.96 लाख/- (रू0 अठावन लाख छानबे हजार मात्र) का उपभोग कर लिए जाने की दशा में द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 59.00/- (रू0 उनसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि सहित प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त उपलब्ध के उपरांत ही आगामी धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

3- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

5- इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियां व्यय हेतु अनुमन्य होंगी, जो शासनादेश संख्या-1075/सत्तर-4-99/46(21)/99, दिनांक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29.04.2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गयी है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

6- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7- इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तद्नुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।

8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 12-काशी विद्यापीठ-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन)" के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

9- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशा0 संख्या-ई-11/**121**/दस-2019, दिनांक 07-02-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
( मनोज कुमार )
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, वाराणसी।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
7. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन **Grid (Budget) Allotment** कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग- 4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
( कृष्ण चन्द्र राय शर्मा )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in